पत्र संख्या-मं०मं०-01/आर०-28/2006..........................

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अशोक कुमार सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- अक्टूबर, 2012

विषय :- **मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को संचिका उपस्थापन के समय आत्मभारित एवं स्वतः स्पष्ट टिप्पणी देने के संबंध में।**

प्रसंग :- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्रांक-1015, दिनांक-17.06.2009

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिपत्र द्वारा सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिवों को यह निदेश दिया गया था कि कार्यपालिका नियमावली के नियमों के अनुसार कतिपय मामलों में मुख्य सचिव अथवा उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को विभिन्न विभागों द्वारा संचिकाएँ उपस्थापित की जाती है। इस संबंध में ऐसे कई दृष्टान्त सामने आए हैं जिनमें विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के स्तर पर मात्र पृष्ठांकन कर दिया जाता है अथवा अति संक्षिप्त टिप्पणी दी जाती है, जिस कारण विषय वस्तु स्पष्ट नही हो पाता है। इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रसंगाधीन परिपत्र में दिये गये निदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः पूर्व के निदेश को पुनः दुहराते हुए निदेश दिया जाता है कि मुख्य सचिव अथवा उनके माध्यम से मुख्यमंत्री के आदेश हेतु उपस्थापित संचिका में विभाग के प्रधान सचिव/सचिव आत्मभारित टिप्पणी देंगे ताकि पूरा मामला स्पष्ट हो सके। यह टिप्पणी हस्तलिखित नहीं होकर टंकित होनी चाहिये।

2. उपर्युक्त के आलोक में कृपया यह सुनिश्चित की जाय कि जब भी कोई ऐसी संचिका उपस्थापित की जाय, उसमें टंकित आत्मभारित टिप्पणी हो ताकि प्रस्ताव पर निर्णय लेने में सुविधा हो।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

25.10.2012

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/आर०-28/2006 ....1399...../ दिनांक- 30 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि :- विकास आयुक्त, बिहार/सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25.10.2012

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

25/10/12

D:\Cab 1 Systems\old file\Panday.doc